



Helpline

1064



94135-02834

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

➤ दौसा में पुलिस थाना बांदीकुई का हैड कानिस्टेबल 2 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

➤ आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 17 जुलाई, सोमवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद शर्मा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा को परिवादी से 2 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी** ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में परिजनों का नाम निकालने की एवज में अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में एसीबी की दौसा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री शिवलहरी शर्मा निवासी ग्राम मोठ, तहसील एवं पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला दौसा को परिवादी से 2 हजार 500 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 1 हजार 500 रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।